22.07.2022:– आज यह पत्रावली पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता के प्रार्थना–पत्र पेशी कर निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनाम हो गया है। वादी उक्त वादपत्र मे कोई अनुतोष नही करना चाहता है। इसलिए वादपत्र मे आगामी कार्यवाही नही करना चाहती व वादपत्र इसी स्तर पर विड्रा किया जावे। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सुनिल सिह बुक द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner